6/1/26 | पत्रावली पेश हुई। का० पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–2/21 तारीख रजुः–6.1.2021

उनवान

1. जाकिर
2. साजिद
3. साबिर
4. आरिफ
5. इमरान

पुत्रान स्व0 गनीखां

6. जरीना
7. नफीसा

पुत्रीयान स्व0 गनी खां

जातियान मुसलमान निवासी कस्बा करौली वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

––प्रार्थीयान

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र वसीर खां जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए) एवं 151 जा. दी.

–::निर्णय::– दिनांकः– 6/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक बाद घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय में इसी उनवान का पेश किया हुआ है उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जो अप्रार्थी पक्ष की भी जानकारी में हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र में न्यायालय श्री मानद्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी यात खसरा नम्बरान 4776, 4778, 4779, 4780, 4781,4783 एवं 4920 [illegible] 4 बीघा 7 विस्वा भूमि स्थित कस्बा करौली की मौके [illegible] यथावत बनाये रखने का प्रार्थनापत्र धारा 212 [illegible] आने तक गैरसायलान अजील एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली [illegible] को पाबंद किया हुआ हैं। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की नोटिस की तामील अप्राथीगण गैरसायलान पर विधिवत तौर पर हुयी हैं। और दिनांक 9.2.2016 के दिवस गैरसायल नंबर 1 अजीज के विरूद एक पक्षीय कार्य वाही की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हैं। न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही का आपस्त किये जाने का आवेदन दिनांक 13.6.2018 के दिवस तहसील दार हिण्डौन से अपने पक्ष में निर्णय दिनांक न्यायालय से नामान्तकरण जॉच कराकर पेश किया है और अपने पक्ष में नामान्तकरण सं0 45314 दिनांक 4–9–019 को तस्दीक करा लिया है। प्रार्थीयान को नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 4–12–2020 के दिवस पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर हुई है। अप्रार्थी गैरसायल नंबर 1 अजीज ने न्यायालय से स्थगन आदेश की जानकारी होते हुऐ न्याायालय से नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हुऐ रिकार्ड राजस्व की स्थिति को यथावत नही रखा है और अप्रार्थी गैरसायल को तीन माह सिविल कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी ने इस न्यायालय स्थगन के तथ्य का छुपाते हुऐ अपने पक्ष में धोखापूर्ण तरीके से नामान्तकरण का आदेश प्राप्त किया है। और राजस्व रिकार्ड में अपने पक्ष में इन्द्राज कराकर न्यायालय आदेश 7–12–2015 की स्पष्ट तौर पर अवहेलना की है। न्यायालय द्वारा दिनांक 7–'12–2015 के दिवस की स्थिति यथावत राजस्व रिकार्ड बनाये रखने के लिये न्यायालय द्वारा अपने आदेश की पालना हेतू अप्रार्थी संख्या। अजीज को तीना माह की सिविल जैल भेजना जाना ही न्यायोचित है। एवं राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात को हटाया जाना न्यायोचित है आवश्यक है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य सायल एकपक्षीय ली गई। सायल ने अपने मौखिक बयान में एडब्ल्यू–1 सायल जाकिर का बयान लेखबद्व कराया एवं [illegible] साक्ष्य में ऑडरशीट मुकदमा नंबर 50/15 प्रदर्श–1, प्रार्थना–पत्र आर टी 212 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–3, निर्णय दिनांक 13.06. 2018 की फोटोप्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील सायल एकपक्षीय सुनी गई। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का दिनांक 7.12.2015 को दिया गया है। उसके बाद गैरसायल ने वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण नंबर 4314 दिनांक 4.9.2019 को अपने हक में स्टे के उपरांत दर्ज करा लिया है। जो न्यायालय स्टे आदेश की अवहेलना है। इसलिए नामांतकरण नंबर 4314 दिनांक 4.9.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। और स्टे दिनांक 7.12.2015 की पालना कराया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र सायलान आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4776, 4778 लगायत 4783, 4920 कुल किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का नामांतकरण नंबर 4314 दिनांक 4.9.2019 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि उक्त नामांतकरण के इन्द्राज को जमाबंदी से हटाया जाकर दिनांक 7.12.2015 के दिवस की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति कायम की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/1/26 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:21 IST
Reason: SelfAttested